बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-31/2011 787 खाद्य,पटना/दिनांक- 5.2.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना ।

विषयः- पटना अनुभाजन स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना अनुभाजन क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित जन वितरण प्रणाली की सभी योजनाओं यथा ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा के खाद्यान्नों तथा किरासन तेल की आपूर्ति लाभूकों के बीच निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर उपलब्ध कराने एवं वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु पटना अनुभाजन स्तर पर अनुश्रवण समिति का निम्न प्रकार गठन किया जाता है :-

1.	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	उप अनुभाजन पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
3.	पटना नगर निगम के महापौर	-	सदस्य
4.	फुलवारी नगर परिषद के अध्यक्ष	-	सदस्य
5.	अनुभाजन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले विधान सभा एवं संसदीय क्षेत्र के विधायकों/सांसदों के एक-एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य जिसमें अल्पसंख्यक, अनु0जाति/अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला का एक-एक सदस्य अवश्य हों	-	सदस्य
8.	तेल कंपनियों के प्रतिनिधि	-	सदस्य

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc

इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने की जिम्मेवारी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी की होगी ।

अनुश्रवण समिति का अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

यह समिति जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले विभिन्न योजनाओं यथा ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय योजना एवं अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण की समीक्षा करेगी । साथ हीं साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों के बीच इसके वितरण की भी समीक्षा करेगी एवं इसमें उत्पन्न कठिनाईयों के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के तहत निर्णय लेने का अधिकार समिति को होगा ।

अनुश्रवण समिति के लिए जब तक सरकार द्वारा 10 सदस्यों (सामाजिक कार्यकर्त्ता) का मनोनयन नहीं हो जाता है तब तक पदेन सदस्यों से ही समिति को कार्यकारी बनाया जाय । मनोनीत सदस्यों को कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है ।

अतः अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में अनुभाजन स्तर पर अनुश्रवण समिति के गठन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

3/02/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-31/2011 खाद्य,पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/राज्यस्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, लोकनायक जय प्रकाश भवन, डाक बंगला चौक, पटना/उप निदेशक, खाद्य पटना, प्रमंडल, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना को निदेश है कि इस आशय की सूचना सभी सम्बन्धित सदस्यों को अपने स्तर से देंगे ।

3/02/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-31/2011 787 खाद्य,पटना/दिनांक- 4.2.2011

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

3/02/2011

प्रधान सचिव ।